न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 30/2018

GCMS No. : 2018/00049

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

रमेश चन्द खाद्य सुरक्षा उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर

1. श्री ब्रजलाल बोयल पुत्र श्री कुराडा राम सुपरवाईजर ऑफ दुन केटरर्स पेन्ट्रीकार ट्रेन संख्या 16508/16507 बंगलोर से भगत की कोठी एक्सप्रेस के पेन्ट्रीकार संख्या 08801 पता–गांव, पोस्ट–21 गोठडा तहसील नवलगढ झुंझुनु राजस्थान कार्यालय का पता– मैसर्स दुन केटरर्स 5198 बसन्त रोड पहाडगंज नई दिल्ली 110055
2. सुशील टण्डन (पार्टनर) मैसर्स दुन कैटरर्स **पता–** 5198 गली बाल किशन पहाडगंज नई दिल्ली 110055 **कार्यालय का पता–** मैसर्स दुन केटरर्स 5198 बसन्त रोड पहाडगंज नई दिल्ली 110055
3. मैसर्स दून केटरर्स **कार्यालय का पता–** मैसर्स दुन केटरर्स 5198 बसन्त रोड पहाडगंज नई दिल्ली 110055
4. श्री अजीत राजाराम अटोले **पता–** गोविन्द मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्रा.लि. हेड ऑफिस गणेशसेरी पंधारपुर रोड़ कोलकी तहसील फलटन, सतारा 415523 महाराष्ट्र
5. गोविन्द मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्रा.लि. **पता –** गोविन्द मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्रा.लि. हेड ऑफिस गणेशसेरी पंधारपुर रोड़ कोलकी तहसील फलटन, सतारा 415523 महाराष्ट्र
6. अशोक कुमार मिश्रीलाल गुप्ता पुत्र श्री मिश्रीलाल हिरालाल गुप्ता (डिस्ट्रीब्यूटर) **पता–** अशोक फुड एण्ड ब्रिवरेजेज प्लॉट संख्या 509/26 परमानन्द पटेल चौक, हंजार सिनेमा, सरसपुर रोड़ अहमदाबाद, गुजरात

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.7.2024

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 तथा अप्रार्थी संख्या 04, 05 व 06 वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जायेगा।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1(42) 2011/रेल्वे/एफ.एस.एस.ए.आई दिनांक 19.06.2013 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 11.08.2017 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म दून केटरर्स पेन्ट्रीकार ट्रेन संख्या 16508/16507 बंगलोर से भगत की कोठी एक्सप्रेस के पेन्ट्रीकार संख्या 08801 पर पहुंचा। जहां पर बृजपाल बोयल पुत्र श्रीकुराडा राम सुपर वाईजर मिला जो यात्रियों को खाद्य पदार्थ बेच रहा था। जिसे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) रखा पाया जिसे बृजपाल बोयल यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नही होने से साथ आये ताराचंद सफाई वाला गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 12 टेट्रापैक बोतल (200 एम एल प्रत्येक) Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 360/– रूपये नकद बृजपाल बोयल को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर बृजपाल बोयल गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं बृजपाल बोयल की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर बृजपाल गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–377 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं बृजपाल व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विशलेषक प्रयोशाला जोधपुर में जमा करवा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। बृजपाल बोयल ने उक्त नमुने के संबध में अग्रिम खरीद व संबधित सप्लायर निर्माता आदि के संबध में प्राप्त बिल केश मेमो एवं अन्य दस्तावेज पेश किये। बृजपाल बोयल की पेन्ट्रीकार ट्रेन संख्या 08801 (एफबीओ) से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–997 के संबध में खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/755/एक्ट/2017/752 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार Substandard (अवमानक) पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Substandard (अवमानक) Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 ने लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अधिकृत विक्रेता से जिस पैकिंग अवस्था मे खाद्य पदार्थ खरीद किया गया है

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

उसी अवस्था में आमजन को बेचा जाता है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये बगैर आमजन को विक्रय किया जाता है, अतः खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 80 (बी)(2)(डी)(i) के तहत लाभ देते हुए अप्रार्थीगण के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप कराने का श्रम करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने अपने लिखित जवाब मे खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 01 से Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) का नमुना खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की पालना करते हुए नही लिया गया है, प्रयोगशाला रिपोर्ट दिनांक 29.08.2017 के अनुसार उक्त प्रदार्थ सभी निर्धारित मानको के अनुरूप पाया गया है केवल वसा मात्रा न्युनतम निर्धारित सीमा 9 प्रतिशत से थोडा कम अर्थात 8.22 प्रतिशत पाया गया है जो निर्धारित मानक के समकक्ष है, साथ ही उक्त नमुना खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर भेजा गया है जिसे एनएबीएल के अनुसार नही माना है उक्त लेब एनएबीएल मापदण्डो के अनुरूप अपग्रेड नही है, राज्य केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर राजस्थान को एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 3 (पी) के अर्थ में खाद्य प्रयोगशाला नही माना जा सकता है जिससे कारण उक्त रिपोर्ट सन्देहांसप्रद होने से जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.08.2017 को अप्रार्थी संख्या 01 की के पेन्टीकार संख्या 08801 से मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमूना कोड एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 377 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 377 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। प्रकरण राजस्थान राज्य से संबधित न होकर रेल्वे (केन्द्र) का होने से रेल्वे के सयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय ने धारा 77 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय सीमा सतुष्ट होकर बढायी गयी। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर Food Safety and Standard Authority of india द्वारा मान्यता प्राप्त है जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के पेन्टीकार से लिया गया Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) का नमुना अवमानक स्तर (Sub-Standard) पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पुर्ण कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत की गयी है। खादय विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार Flavored Double Toned Milk (Govind Brand) जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा (SubStandard) अवमानक Flavored Double Toned

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Milk (Govind Brand) का उत्पादन/विक्रय/विनियमन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 पर संयुक्त रूप से 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 व 05 पर संयुक्त रूप से 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 06 पर 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, कुल 70,000/– अक्षरे सत्तर हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 24/11/14 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)